बीआईएस मुख्यालय/प्रशा/परिपत्र (07)/2019

भारतीय मानक ब्यूरो
(प्रशासन विभाग)

परिपत्र

विषय: बीआईएस मुख्यालय परिसर में शिशु शाला (क्रेच)/ डे केयर सुविधा का उपयोग करने हेतु इच्छुकों का पता लगाना।

1. सरकार कार्यालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर बल देती रही है। चूँकि महिलाएँ, बच्चों एवं परिवारों की देखभाल करने में प्रमुख भूमिकाएँ निभाती हैं, अतः महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे अपने परिवार की देखभाल करने के साथ-साथ अपने कार्य में ध्यान लगाने में सक्षम हो सके। मातृत्व लाभ(संशोधन) अधिनियम, 2017 (एमबी संशोधन अधिनियम) ने महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभों को विशेष रूप से बढ़ाया है। इससे भारत विश्व के उन सर्वोतम चयनित देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ उपलब्ध कराते हैं।

2. मातृत्व लाभ एमबी (संशोधन) अधिनियम, 2017 दिनांक 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ है। दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावी इस एमबी (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत 50 या इससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान के लिए शिशु शाला उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस संशोधन ने अपनी नौकरी तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन पैदा करने वाले विकल्पों को तलाश करने वाली महिलाओं की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया है।

3. और ये केवल महिलाएँ ही नहीं हैं, जो हमारे संस्थान में शिशु शाला के प्रचालन से लाभान्वित होंगी। हम कामकाजी महिलाओं के सबंध में रूढ़िवादी परंपरा से दूर होते हुए, इससे संगठन और कर्मचारी-हितैषी बनेगा, कामकाजी अभिभावकों के तनाव को कम करने के साथ-साथ संगठन की छवि में सुधार होगा। अभिभावकों का वित्तीय तनाव कम होगा और बच्चे अपनी बाल्यावस्था के दौरान अभिभावकों के पास रहेंगे।

4. कार्यालय में शिशु शाला/डे केयर सुविधा, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य करने में सहायक होगी और बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। बीआईएस मुख्यालय परिसर में एक स्वस्थ एवं अच्छी देखभाल वाली डे केयर सुविधा हमारे कर्मचारियों के साथ-साथ संगठन को अत्यावश्यक राहत प्रदान करेगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बीआईएस की शिशु शाला / डे केयर सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक समस्त कार्मिक अर्थात् अस्थाई, दिहाड़ी, परामर्शक और संविदागत कर्मचारी अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र में अपने नाम दिनांक 20 मार्च, 2019 तक दे दें।

न. विट्टोबा
(एन विट्टोबा)
निदेशक (प्रशासन)

अनुलग्नक: यथोपरि

हमारा संदर्भ : प्रशा./09/04/2014
दिनांक: 14 मार्च, 2019

परिचालन: ब्यूरो के इन्ट्रानेट द्वारा बीआईएस मुख्यालय के सभी विभाग

अनुलग्नक

में बीआईएस मुख्यालय परिसर में शिशु शाला/ डे केयर सुविधा का उपयोग करने हेतु इच्छुक हूँ और सुसंगत विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. कर्मचारी का नाम:

2. कर्मचारी संख्या:

3. पदनाम एवं विभाग:

4. बच्चा/बच्चों का आयु समुह जिनके लिए सुविधा का उपयोग किया जा सकता है:

   3 वर्ष से कम:

   3-6 वर्ष के बीच:

5. सुविधा हेतु अपेक्षित समय:

6. अवधि जिसके दौरान सुविधा का उपयोग किया जाएगा:

हस्ताक्षर
दिनांक

BIS HQ/Admn/Circular(07)/2019

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(ADMINISTRATION DEPARTMENT)

CIRCULAR

Subject: Seeking interests for availing crèche/day care facility at BIS HQs premises

1. The government has been laying emphasis on increasing representation of women in offices. Efforts are being made to ensure better facilities for women employees so that they are able to concentrate on their work as well as take care of their families, women being the primary care provider for children and families. The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, (MB Amendment Act) has significantly enhanced the maternity benefits for women employees. It elevates India to a select group of top tier countries in the world that provide maternity benefits to employees.

2. The Maternity Benefit MB (Amendment) Act 2017 came in force with effect from 1 April 2017. Effective from 1 July 2017, the MB Amendment Act makes it mandatory for every establishment having fifty or more employees to provide for a crèche. This amendment has provided a much needed voice to women looking for options to create a balance between their job and family responsibilities.

3. And it is not just the women who will benefit from operating a crèche in our establishment. As one moves away from the stereotypes related to working women, the organization will become more employee-friendly, improve its image along with the reduced attrition of working parents. The financial stress on parents will be reduced and child will remain close to parents during early childhood.

4. A crèche/day care facility in the office would help employees perform better and deliver better output. A healthy and well-supervised day care facility at BIS HQs premises can provide a much needed relief for the organization as well as our employees. In view of this, interest is sought from all employees including temporary, daily wage, consultant and contractual personnel to avail crèche facility/day care facility of BIS in the proforma given in Annex by 20th March, 2019.

(N. Vittoba)
Director (Admn.)

Encl: As above

Ref: Admn/09/04/2014
Date: 14 March 2019

Circulated to: All Departments of BIS at Hqrs through Intranet

ANNEX

I will be interested in availing crèche/day care facility at BIS HQ. premises and the relevant details are given below:

1. Name of employee:

2. Employee number:

3. Designation and department:

4. Age group of kid/s for which the facility may be used:

   Below 3 years:

   Between 3-6 years:

5. Timings required for the facility:

6. Period for which the facility shall be availed:

Signature

Date